

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 66/2019
GCMS Case No. 2019/00212

सायल :-
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक
पाली

बनाम

गैरसायल:-
श्री मदनलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति राव
निवासी भगवानपुरा पुलिस थाना मारवाड़
जंक्शन जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली


:: निर्णय ::


दिनांक :- 23.08.22

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 15.11.2019 को गैरसायल मदनलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति राव निवासी भगवानपुरा पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना मारवाड़ जंक्शन का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ 2012 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। सभी प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	मु0न0	धारा	नाम न्यायालय	निर्णय
1	116/12	19/54 भादस	जेएम कोर्ट मा0ज0	08.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रुपये को जुर्माना
2	64/14	19/54 भादस	जेएम कोर्ट मा0ज0	08.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रुपये को जुर्माना
3	11/17	19/54 भादस	जेएम कोर्ट मा0ज0	22.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रुपये को जुर्माना
4	129/19	19/54 भादस	जेएम कोर्ट मा0ज0	22.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रुपये को जुर्माना
5	71/19	19/54 भादस	जेएम कोर्ट मा0ज0	22.08.2019 परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ व धारा 5 के तहत 300 रुपये को जुर्माना

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मदनलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति राव निवासी भगवानपुरा पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली शराब तस्करी के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल का हौसला इतना बुलन्द हो गया है कि किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छूटने पर यह पुनः निर्भीक होकर निरन्तर अपराध कारित कर देता है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(3)




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन का अव्वल दर्जे का शराब का तस्कर है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छूटने पर यह पुनः निरन्तर अपराध कारित कर देता है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन के मुकदमा नम्बर 724/12 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 300/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 460/14 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 300/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। मुकदमा नम्बर 1259/17 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2019 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 300/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। मुकदमा नम्बर 1101/18 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2019 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 300/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 799/19 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2019 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 300/- रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मदनलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति राव निवासी भगवानपुरा पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन से निष्काषित कर पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 08.09.22 से 30 दिन के




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

लिये पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी राजनगर जिला राजसमन्द गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मदनलाल इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, गैरसायल मदनलाल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी राजनगर जिला राजसमन्द उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी मारवाड़ जंक्शन अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन एवं थानाधिकारी राजनगर जिला राजसमन्द को भिजवाई जावे।



निर्णय आज दिनांक 23.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर
धुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चन्द्रभानुसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली


(चन्द्रभानुसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पाली (राज.)